1

प्रस्तावना

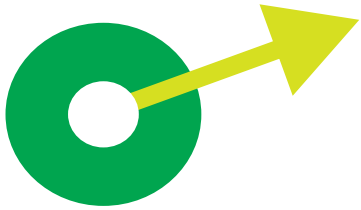

प्रस्तावना

भारतीय वानिकी अनुसन्धान एवं शिक्षा परिषद्, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संस्था है। पर्यावरण एवं वन मंत्री भा.वा.अ.शि.प. के अध्यक्ष हैं तथा महानिदेशक इसके मुख्य कार्यकारी हैं। आम सभा भा.वा.अ.शि.प. की सर्वश्रेष्ठ प्राधिकारी है जिसकी अध्यक्षता पर्यावरण एवं वन मंत्री, भारत सरकार करते हैं। इसके सदस्य विभिन्न राज्य सरकारों, शैक्षिक संस्थानों तथा वैज्ञानिक संस्थाओं के कार्यरत तथा सेवा निवृत अधिकारी होते हैं (परिशिष्ट – I)।

क. अवसंरचना

संस्थात्मक चार्ट पृष्ठ IV पर दिखाया गया है शासकीय निकाय की अध्यक्षता मुख्य कार्यकारी अर्थात महानिदेशक द्वारा की जाती है जो कि निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। इनकी सहायता के लिए चार उपमहानिदेशक (जो कि प्रशासन, अनुसन्धान, शिक्षा तथा विस्तार निदेशालय की अध्यक्षता करते हैं): निदेशक परियोजना तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग, सचिव, भा.वा.अ.शि.प., हैं। उप महानिदेशकों की सहायता के लिए मुख्यालय में सहायक महानिदेशक होते हैं। प्रत्येक संस्थान की अध्यक्षता निदेशक द्वारा की जाती है जिसकी सहायता के लिए अनुसन्धान समन्वयक, वैज्ञानिक, अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी होते हैं।

लक्ष्य कथन

अनुसन्धान, शिक्षा और विस्तार द्वारा सतत् आधार पर वनों से संबन्धित समस्याओं को निपटाने और लोगों, वनों एवं पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया से उत्पन्न होने वाले सहानुबंधों को प्रोत्साहित करने के लिए जानकारी, प्रौद्योगिकियों एवं समाधानों को सृजित, रक्षित, प्रसारित एवं उन्नत करना।

संकल्पना

राष्ट्रीय वानिकी कार्रवाई कार्यक्रम और राष्ट्रीय वानिकी अनुसन्धान योजना के परिचालनीयकरण द्वारा वनावरण में वृद्धि करना और वन उत्पादकता बढ़ाना।

अनुसन्धान निदेशालय

यह प्रत्येक संस्थान में अनुमोदित कैलेंडर के अनुसार संस्थान स्तर पर अनुसन्धान सलाहकार समूह (आर.ए.जी.) की बैठक तथा भा.वा.अ.शि.प. स्तर पर अनुसन्धान योजना समिति (आर.पी.सी.) की बैठक करवाने के लिए उत्तरदायी है। यह राष्ट्रीय स्तरीय समन्वित परियोजना सविन्यास के लिए भा.वा.अ.शि.प. के सभी संस्थानों के साथ समन्वयन करता है। बांस तकनीकी सहायता समूह (बी.टी.एस.जी.) के एक भाग के रूप में यह विभिन्न लक्ष्य समूहों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।

शिक्षा निदेशालय

यह निदेशालय विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा वैज्ञानिक तथा अनुसचिवीय वर्ग के क्षमता निर्माण के लिए उत्तरदायी है। भा.वा.अ.शि.प. वानिकी शिक्षा दे रहे विश्वविद्यालयों को आर्थिक सहायता देकर राष्ट्रीय स्तर पर वानिकी शिक्षा को बढ़ावा दे रहा है। निदेशालय ने वानिकी शिक्षा की गुणवता को सुधारने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए.आर.सी.टी.ई.) के अनुसार प्रत्यायन कार्यक्रम प्रारम्भ किया है। नीति अनुसन्धान प्रभाग मौजूदा वन नीतियों, विधियों तथा रूपरेखा की समीक्षा तथा विश्लेषण करता है।

विस्तार निदेशालय

विस्तार निदेशालय वृहद विस्तार रणनीतियों के द्वारा वन विज्ञान केन्द्रों (वी.वी.के.) तथा प्रदर्शन ग्राम (डी.वी.) के माध्यम से विभिन्न लक्ष्य समूहों विशेषकर किसानों तक परिषद् द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों के विस्तार के लिए उत्तरदायी है। पर्यावरण प्रबन्धन प्रभाग परामर्शी सेवाओं के द्वारा विभिन्न एजेंसियों को पर्यावरण के क्षेत्र में वैज्ञानिक विशेषज्ञता उपलब्ध करवाता है। मीडिया तथा विस्तार प्रभाग विभिन्न प्रकाशन जैसे बुलेटिन, ब्रोशर, पम्फ्लेट, न्यूजलैटर तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित करता है तथा राजभाषा हिन्दी को प्रोत्साहित करता है। स्लेम परियोजना एकक भारत में वैश्विक पर्यावरण सुविधा निधियीत तथा विश्व बैंक सहायता प्राप्त मध्यम आकार की परियोजना *धारणीय भूमि तथा पारितंत्र प्रबन्धन को मुख्यधारा में लाने तथा उन्नयन के लिए नीति तथा संस्थात्मक सुधार* को कार्यान्वित करने के लिए तकनीकी सुविधा संस्था (टी.एफ.ओ.) के रूप में कार्य करता है। सांख्यिकी प्रभाग सभी राज्यों से वानिकी से सम्बन्धित आंकड़े एकत्रित करता है जिसे वार्षिक वानिकी सांख्यिकी प्रतिवेदन तथा बुलेटिन के द्वारा प्रसंस्कृत तथा प्रसारित किया जाता है।

प्रशासन निदेशालय

प्रशासन निदेशालय परिषद की आर्थिक योजना तथा बजट प्रबन्धन के लिए उत्तरदायी है। सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग भा.वा.अ.शि.प. मुख्यालय तथा भा.वा.अ.शि.प. के अधीन सभी संस्थानों की सूचना संचार प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। भा.वा.अ.शि.प. सर्वर फार्म इफ्रिस अनुप्रयोग तथा अन्य सम्बन्धित मुख्य सेवाएं जैसे संदेश सेवा, वेब सेवा, आंकडा आधार सेवा, प्रॉक्सी सेवा, डी.एन.एस. सेवा, डी.एच.सी.पी. सेवा, एफ.टी.पी. सेवा, बैकअप सेवा, इंटरनेट सेवा, एम.पी.एल.एस.वी.पी.एन. सेवा, विडियो कॉन्फ्रेसिंग, एंटीवायरस सेवा, हैल्प डैक्स सेवा तथा सी.ए. ई.एम.एस. आई.एस.एस. सेवाओं को देखता है।

निदेशक, परियोजना एवं अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

निदेशक परियोजना एवं अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग पंचायत तथा मानव आयाम प्रभाग के साथ मिलकर परियोजनाओं, एम.ओ.यू. तथा परामर्शी सेवाओं के संदर्भ में राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सम्बन्ध विकसित करने के लिए अध्यादेशित है।

भा.वा.अ.शि.प. के संस्थान तथा केन्द्र

देश की वानिकी अनुसन्धान की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में भा.वा.अ.शि.प. के नौ क्षेत्रीय अनुसन्धान संस्थान तथा चार केन्द्र स्थित है।

वन अनुसन्धान संस्थान (व.अ.सं.), देहरादून 1906 में स्थापित एक मुख्य वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा आई.एस.ओ. 9001:2000 संस्थान है। यह संस्थान पूर्व में इम्पीरियल वन अनुसन्धान संस्थान द्वारा किये गये वानिकी अनुसन्धान की उच्च परम्परा को आगे बढ़ा रहा है ताकि उत्तराखण्ड, उत्तरप्रदेश, हरियाणा, पंजाब तथा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की वानिकी अनुसन्धान आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। सामाजिक वानिकी तथा पारिपुर्नस्थापन के लक्ष्य के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरी बिहार तथा उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के विध्य क्षेत्र की वानिकी अनुसन्धान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वन अनुसन्धान संस्थान के छत्र अधीन सामाजिक वानिकी तथा पारिपुर्नस्थापन केन्द्र (सा.वा.पा.पु.के.) इलाहाबाद कार्य कर रहा है।

वन अनुसन्धान संस्थान, देहरादून को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा ''सम विश्वविद्यालय'' का दर्जा दिया गया है जो कि वानिकी के स्नातकोत्तर, काष्ठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर, पर्यावरण प्रबन्धन में स्नातकोत्तर पाठयक्रम, अकाष्ठ वन उत्पादों में पोस्ट मास्टर्स डिपलोमा तथा कागज तथा लुगदी प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा करवाता है। इसमें पी.एच.डी. डिग्री देने वाले डॉक्टोरल कार्यक्रम भी है।

संस्थान का राष्ट्रीय वन पुस्तकालय तथा सूचना केन्द्र (रा.व.पु.सू.के.) दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में वानिकी तथा सम्बन्धित विज्ञानों पर दस्तावेज संग्रहण करने में सबसे समृद्ध केन्द्र है।

उष्णकटिबन्धीय वन अनुसन्धान संस्थान (उ.व.अ.सं.), जबलपुर मध्य भारत जैसे मध्य प्रदेश, छतीसगढ़, महाराष्ट्र तथा उड़ीसा के राज्यों में अनुसन्धान क्रियाकलाप करता है। वानिकी अनुसन्धान तथा मानव संसाधन विकास केन्द्र, छिंदवाड़ा (वा.अ.मा.सं.वि.के.) उष्णकटिबन्धीय वन अनुसन्धान संस्थान, जबलपुर का एक सहायक केन्द्र है जो स्वयं रोजगार के द्वारा गरीबी को कम करने के लिए रोजगार प्रशिक्षण देकर वानिकी सैक्टर में मानव संसाधन विकास के विशिष्ट क्षेत्रों में वानिकी अनुसन्धान कर रहा है।

शुष्क वन अनुसन्धान संस्थान (शु.व.अ.सं.), जोधपुर राजस्थान, गुजरात, दादर व नगर हवेली में अनुसन्धान क्रियाकलापों को देखता है। संस्थान शुष्क तथा अर्ध शुष्क भू-उत्पादकता तथा वानस्पतिक आच्छादन को बढ़ाने के लिए जैविविधता को संरक्षित तथा अन्तक्ष्यभोक्ताओं के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास करता है।

हिमालयन वन अनुसन्धान संस्थान (हि.व.अ.सं.), शिमला को 1987 के दौरान कॉनीफर पुनरूत्पादन अनुसन्धान केन्द्र से उन्नत कर स्थापित किया गया। संस्थान हिमालय तथा ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्रों पर अनुसन्धान के साथ जम्मू-कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यों की अनुसन्धान आवश्यकताओं को पूरा करता है। शीत रेगिस्तान की विशिष्ट अनुसन्धान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए टाबू तथा लाहौल स्पीती (हि.प्र.) सहित स्थल विशिष्ट अनुसन्धान को करने के लिए संस्थान के पास 9 स्थल अनुसन्धान स्टेशन है। संस्थान को उन्नत अनुसन्धान के लिए ''शीत रेगिस्तानी वनीकरण तथा चरागाह प्रबन्धन के लिए उन्नत अनुसन्धान केन्द्र'' घोषित किया गया है।

वर्षा वन अनुसन्धान संस्थान (व.व.अ.सं.), जोरहाट को 1988 में उत्तरपूर्वी राज्यों में वानिकी अनुसन्धान को सहायता देने के लिए स्थापित किया गया था। संस्थान झूम खेती, सामुदायिक वनों का प्रबन्धन, बांस तथा बेंत का बहुआयामी उपयोग के अधीन विकृत भूमियों के पुनरूद्धार के लिए संरक्षण पद्धतियों पर ध्यान केन्द्रित करता है। 2004 में वर्षा वन अनुसन्धान संस्थान, जोरहाट के एक एकक के रूप में आइजॉल (मिजोरम) में बांस तथा बेंत उन्नत अनुसन्धान केन्द्र को स्थापित किया गया। यह केन्द्र उत्तर पूर्वी भारत के लोगों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए कार्य करता है जोकि बांस एवं बेंत पर आधारित है।

वन उत्पादकता संस्थान (व.उ.सं.), रांची 1993 में पूर्वी क्षेत्र में यथा बिहार, झारखण्ड तथा पश्चिम बंगाल में वानिकी अनुसन्धान तथा शिक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थापित किया गया। अनुसन्धान तथा विस्तार क्रियाकलापों के लिए संस्थान का मंदार, रांची में वन अनुसन्धान केन्द्र; सुकना, पश्चिम बंगाल में पर्यावरणीय अनुसन्धान केन्द्र; पटना, बिहार में वन अनुसन्धान तथा विस्तार केन्द्र है।

वन जैवविविधता संस्थान (व.जै.सं.), हैदराबाद को पूर्वी घाटों की वन जैवविविधता पर विशेष बल के साथ आन्ध्र प्रदेश की वन जैवविविधता पर अनुसन्धान के उद्देश्य से पूर्व वन अनुसन्धान केन्द्र के अद्यतनीकरण के पश्चात दिसम्बर 2012 में स्थापित किया गया।

काष्ठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (का.वि.प्रौ.सं.), बैंगलोर को 1988 में स्थापित किया गया। संस्थान कर्नाटक तथा गोवा राज्यों की अनुसन्धान आवश्यकताओं को पूरा करता है। संस्थान ने परम्परागत काष्ठ विज्ञान के अतिरिक्त वृक्ष सुधार तथा काष्ठ ऊर्जा के क्षेत्रों में अनुसन्धान क्रियाकलापों को विस्तृत किया है। यह संस्थान काष्ठ की सुधारित उपयोगिता, पश्चिमी घाट, मैनग्रोव तथा तटीय पारिस्थितकी तथा चंदन

अनुसन्धान के क्षेत्रों में उन्नत अध्ययन के लिए केन्द्र के रूप में पहचाना जाता है।

वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान (व.आ.वृ.प्र.सं.), कोयम्बटूर को वन अनुसन्धान केन्द्र (व.अ.के.) का अद्यतनीकरण करके 1988 में बनाया गया जो कि 1959 से वन अनुसन्धान संस्थान, देहरादून तथा कॉलेज के अधीन कार्य कर रहा था। संस्थान तमिलनाडू, केरल, अण्डमान तथा निकोबार, लक्ष्यद्वीप समूह के राज्यों की वानिकी अनुसन्धान आवश्यकताओं को पूरा करता है। संस्थान तीव्र वृद्धि वृक्ष प्रजातियों जैसे सागौन, *कैज्वरीना, यूकेलिप्टस, पोंगैमिया, जैट्रोफा* तथा *अकेशिया* के बीज उत्पादन क्षेत्र तथा क्लोनीय बागानों का रखरखाव करता है। संस्थान की केरल, तमिलनाडू, अण्डमान द्वीप समूह में स्थल एकक है।

ख. अनुसन्धान प्रबन्धन

अनुसन्धान निदेशालय

अनुसन्धान निदेशालय उप महानिदेशक (अनुसन्धान) के दिशा-निर्देशों के अधीन कार्य करता है जिसमें सहायक महानिदेशक (नीति अनुसन्धान), सहायक महानिदेशक (अनुश्रवण एवं मूल्यांकन) तथा कई वैज्ञानिक उनकी सहायता करते हैं। निदेशालय सुनिश्चित करता है कि भा.वा.अ.शि.प. संस्थानों द्वारा प्रारम्भ किये गये सभी अनुसन्धान आवश्यकता आधारित हों तथा क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय अनुसन्धान समस्याओं को सुलझाते हों। निदेशालय द्वारा अनुसन्धान प्राथमीकरण सहभागिता तंत्र के द्वारा है जिसमें सभी हितधारक तथा अन्तउपभोक्तओं को सम्मिलित किया जाता है।

अनुसन्धान निदेशालय के अधीन **अनुसन्धान योजना प्रभाग**, भा.वा.अ.शि.प. के नौ अनुसन्धान संस्थानों तथा चार अनुसन्धान केन्द्रों की योजना निधियीत वानिकी परियोजना की आयोजना, सूत्रीकरण तथा अन्तिम रूप देने का कार्य करता है। यह प्रत्येक संस्थान में पर्णधारियों की बैठक, अनुसन्धान सलाहकार समूह (आर.ए.जी.) बैठकें तथा राष्ट्रीय स्तर पर महानिदेशक, भा.वा.अ.शि.प. की अध्यक्षता में भा.वा.अ.शि.प. मुख्यालय में अनुसन्धान योजना समिति (आर.पी.सी.)की बैठकें आयोजित करता है जिसमें की अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा राज्य की अनुसन्धान आवश्यकताओं में सन्तुलन का ध्यान रखा जाता है और पारदर्शी तथा सहभागी एप्रोच के साथ समाज की इच्छाओं को पूरा करने के लिए उच्च गुणवत्ता वानिकी अनुसन्धान और उभरते हुए मामलों में निवेश करने का निर्णय किया जाता है। यह पांच वर्षीय रोलिंग प्लान के अधीन जारी परियोजनाओं का पुनरीक्षण भी करता है। 53 घटकों सहित 21 नई परियोजना को वर्ष के दौरान प्रारम्भ किया गया।

वर्ष 2012-13 के लिए भा.वा.अ.शि.प. के लिए नौ संस्थानों में से प्रत्येक की **अनुसन्धान सलाहकार समूह** की बैठकें (आर.ए.जी.) संस्थानों में अनुमोदित कैलन्डर के अनुसार आर.ए.जी. सदस्यों को प्रस्तावों के परिचालन द्वारा की गई।

तेहरवी आर.पी.सी. समिति की अनुवर्ती बैठक :

तेहरवी आर.पी.सी. समिति की अनुवर्ती बैठक 11 मई 2012 को भा.वा.अ.शि.प. मुख्यालय के प्रमण्डल कक्ष में महानिदेशक, भा.वा.अ.शि.प. की अध्यक्षता में आयोजित की गई। पहले आर.पी.सी. समिति की तेहरवी बैठक 14 से 16 फरवरी 2012 को भा.वा.अ.शि.प. मुख्यालय में आयोजित की गई। यह निर्णय लिया गया था कि वानिकी अनुसन्धान परिणामों के लिए एक व्यवस्थित वितरण तंत्र को सुनिश्चित करते हुए ईष्टतम जन शक्ति उपयोगिता के लिए भा.वा.अ.शि.प. के अनुसन्धान तंत्र को प्रोग्राम मोड में बदल दिया जाए। तेहरवी आर.पी.सी. समिति के निर्देशानुसार अभिज्ञात शोध क्षेत्रों के 6 निदेशकों को अपने सम्बन्धित शोध क्षेत्र में अखिल भारतीय समन्वित/नैटवर्किंग तथा अन्तर संस्थागत परियोजनाओं के सविन्यास के लिए निदेर्शित किया गया। अनुसन्धान के 4 शोध क्षेत्रों में कुल 21 कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये।

'तेहरवीं अनुसन्धान नीति समिति (आर.पी.सी.) 2012 बैठक पर आधारित भा.वा.अ.शि.प. में. अनुसन्धान कार्यक्रमों की बदलती हुई सीमाएं' नियमावली का विमोचन

अनुसन्धान योजना प्रभाग, अनुसन्धान निदेशालय, भा.वा.अ.शि.प. ने अनुसन्धान योजना तथा प्राथमिकता तंत्र में हाल ही में नये किये गये प्रयासों के परिणामों का संकलन किया तथा फैले तथा बिखरी हुई परियोजनाओं को अखिल भारतीय समन्वित परियोजनाएं/अर्न्तसंस्थागत परियोजनाएं तथा नैटवर्किंग परियोजनाओं में राष्ट्रीय कार्यक्रमों का सविन्यास की प्रक्रिया को उजागर किया।

बांस तकनीकी सहायता समूह (बी.टी.एस.जी.) :

- बी.टी.एस.जी.-भा.वा.अ.शि.प. के प्रतिनिधियों ने 5 नवम्बर 2012 को राष्ट्रीय बांस मिशन, कृषि भवन, कृषि मंत्रालय की समीक्षा बैठक में सहभागिता की।
- बी.टी.एस.जी.-भा.वा.अ.शि.प. (राष्ट्रीय बांस मिशन) के अधीन किसानों/कलाकारों के लिए बांस हस्तशिल्प तथा आभूषण निर्माण पर 5 दिवसीय तीन प्रशिक्षण आयोजित किये गये।

अनुसन्धान निदेशालय के अधीन **अनुश्रवण एवं मुल्यांकन प्रभाग,** भा.वा.अ.शि.प. संस्थानों की सभी जारी अनुसन्धान परियोजनाओं की वार्षिक समीक्षा तथा मूल्यांकन करता है। यह परियोजनाओं को समय से पूरा करने के लिए तथा उद्देश्यों को प्रवीणता से प्राप्त करने के लिए सुधारात्मक उपाय सुझाता है। जुलाई से अक्टूबर 2012 के दौरान भा.वा.अ.शि.प. के सभी संस्थानों की जारी तथा पूर्ण 440 अनुसन्धान परियोजनाओं (347 भा.वा.अ.शि.प. निधियीत तथा 93 बाहय सहायता प्राप्त) की वार्षिक समीक्षा की गई।

मार्च 2012 तथा सितम्बर 2012 में सामाप्त तिमाही अवधि की सभी जारी तथा पूर्ण परियोजनाओं की निदेशकों से एकल परियोजनाओं की अर्ध वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनों को अनुमोदित कार्य योजना के मिलान करके जांच गया तथा उद्देश्यों को समय से प्राप्त करने के लिए सुधारात्मक उपाय सुझाये गये।

निदेशक (परियोजना एवं अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग)

निदेशक (परियोजना एवं अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग) सहायक महानिदेशक (पंचायत तथा मानव आयाम) की सहायता से विकसित हो रही परियोजनाओं, एम.ओ.यू. तथा परामर्शी सेवाओं के संदर्भ में राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सम्बद्धता विकसित करने के लिए अध्यादेशित है। यह प्रभाग विशेषकर वानिकी अनुसन्धान तथा आजीविका से सम्बन्धित सैमीनार बैठकें तथा सम्मेलन भी आयोजित करता है। वर्ष 2012-13 के दौरान मुख्य उपलब्धियां/क्रियाकलाप निम्नलिखित है :

- व्यवस्थित प्रबन्धन रणनीतियों के द्वारा वन आधारित संसाधानों के समग्र वृद्धि तथा विकास को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य के साथ शोध क्षेत्र ''आजीविका सहायता तथा आर्थिक वृद्धि के लिए वन प्रबन्धन'' के अधीन परियोजनाएं संविन्यासित की गई। निम्नलिखित परियोजनाओं पर विस्तृत कान्सेप्ट नोट विकसित किये और विभिन्न निधीयन एजेंसियों को प्रस्तुत किये।
- संपोषण, आजीविका तथा संरक्षण के लिए वन सीमांतों का प्रबन्धन।
- हरित अर्थव्यवस्था के लिए कृषि वानिकी तथा
- अकाष्ठ वन उपज आधारित मॉडयूल।
- वर्ष के दौरान निम्नलिखित सम्मेलन/कार्यशालाएं आयोजित की गई:
  1. अन्तर्राष्ट्रीय पॉपलर कमीशन तथा कार्यकारी समिति की बैठक 29 अक्टूबर से 2 नवम्बर 2012 तक देहरादून में आयोजित की गई।
  2. आजीविका सहायता तथा आर्थिक वृद्धि के लिए ग्रामीण विकास के साथ समेकित वन आधारित उद्यम 21 मार्च 2013 को देहरादून में आयोजित की गई।

- विभिन्न भा.वा.अ.शि.प. संस्थानों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ 25 एम.ओ.यू./परामर्शी सेवाओं को वर्ष के दौरान समन्वित किया गया।
- 11 अन्तर्राष्ट्रीय अनुसन्धान संस्थाओं के साथ सहयोग/साझेदारी में एक अन्तर्राष्ट्रीय सहयोगात्मक परियोजना ''ट्रीप्लैंज'' ई.यू. को प्रस्तुत की गई। परियोजना का उद्देश्य अनुसन्धानकर्ताओं का क्षमता निर्माण है।
- बिहार में समेकित समुदाय आधारित वन प्रबन्धन परियोजना, जो की 2006 में प्रारम्भ की गई, को इस निदेशालय के सहयोग के साथ वन उत्पादकता संस्थान, रांची द्वारा कार्यान्वित किया गया। इस अत्यन्त सफल परियोजना को योजना आयोग तथा बिहार सरकार द्वारा सराहया गया। परियोजना अवधि 2007 से 2013 तक किसान पौध शालाओं में किसानों द्वारा कुल 83.5 लाख पॉपलर पादप तथा 16 लाख से अधिक गैर पॉपलर पादप उत्पादित किये गये। वैशाली जिले में विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन मॉडल पादप क्लोनीय बीज बागान स्थापित किये गये। एक कृषि वानिकी विस्तार केन्द्र भी बनने जा रहा है।